

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 455/2025

अपीलाण्ट :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर		1. श्रीमती वैशाली सांड पत्नी मनीष सांड जाति जैन, निवासी- ए-35, महावीर चौराहा के पास, शास्त्री नगर, जोधपुर। 2. सोहनसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति- राजपूत निवासी- ग्राम जालेली फौजदार, बीसलपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 06.05.2025 को उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 22/2025 अनवान वैशाली सांड वगैराह बनाम राज0 सरकार वगैराह में पारित किया गया

उपस्थिति:-

1. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता, अपीलान्त की ओर से
2. श्री ओ0पी0 मेहता, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 ओर से
3. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2 ओर से



:: निर्णय ::

दिनांक: 18 मई, 2026

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक राजस्व प्रकरण संख्या 22/2025 अनवान वैशाली सांड वगैराह बनाम राज0 सरकार वगैराह प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2025 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो के उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 37/1 रकबा 0.3885 ग्राम जालेली फौजदारा तहसील जोधपुर को खातेदारी में दर्ज करने तथा ख0सं0 37/1 रकबा 0.3385 के बराबर जमीन ख0सं0 45 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील दिनांक 3.6.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। उक्त विचाराधीन अपील के सम्बन्ध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 13095/2025 में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 5.3.2026 को आदेश पारित करते हुए उक्त विचाराधीन अपील को एक माह में निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 6.4.2026 को न्यायालय हाजा में पेश की गई है। जिस पर उभय पक्षकारान की ओर से की गई दिनांक 05.2026 को अन्तिम बहस को सुना गया।

3. अपीलान्ट के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना अंतर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) में प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उनकी खरीदसुदा, कब्जाकाशत की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 37 कुल रकबा 0.7608 हैक्टेयर भूमि ग्राम जालेली फौजदारा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 3/8 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 का 5/8 हिस्सा है जिसकी जमाबंदी सम्वत 2081 (वर्ष 2024) की खेवट खतौनी संख्या नई 377 व पुरानी 350 से स्पष्ट प्रकट होती है। इसके अलावा प्रार्थीगण के अन्य संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 45 कुल रकबा 0.4407 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 100/1089 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 का 989/1089 हिस्सा है, जिसकी जमाबंदी सम्वत 2081 (वर्ष 2024) की खेवट खतौनी संख्या नई 376 व पुरानी 350 से स्पष्ट प्रकट होती है।



4. अपीलान्ट के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम जालेली फौजदारा के खसरा संख्या 37 रकबा 7.10 बीघा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम कुल रकबा 0.3885 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई जो कि तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 31.05.1975 की पालना में जरिये नामा. संख्या 60 दिनांक 01.07.1975 के द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की खसरा नम्बर 37 रकबा 1.2140 हैक्टेयर (7.10 बीघा) में से नया खसरा नम्बर 37/1 रकबा 0.3885 हैक्टेयर (लगभग 2.08 बीघा) गैर मुमकीन सड़क भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई जिसका वर्तमान जमाबंदी संवत 2081 (वर्ष 2024) में अंकन किया।

5. अपीलान्ट के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) के न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र में पूर्णतः गलत तथ्य अंकित करते हुए खसरा संख्या 45 रकबा 0.3885 हैक्टेयर की भूमि को अवाप्त किया जाना बताया जिसे प्रार्थीगण के द्वारा सदभाविक भूल व लिपिकीय त्रुटि होने से उक्त खसरा संख्या 37

में से अवाप्त कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करना बताया। अतः उपरोक्त लिपिकिय त्रुटि की दुरुस्ती हेतु धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथित त्रुटि को दुरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम भूमि खसरा नम्बर 37/1 है। ख0सं0 45 की भूमि अवाप्ति किया जाना उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर नहीं पाया जाता है। स्वीकृत नामा0 संख्या 60 दिनांक 01.07.1975 के द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की खसरा नम्बर 37 रकबा 7.10 बीघा में से नया खसरा नम्बर 37/1 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा (0.3885 हैक्टेयर) भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होना पाया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खसरा संख्या 37/1 रकबा 0.3885 हैक्टेयर के स्थान पर ख0सं0 45/1 रकबा 0.3885 हैक्टेयर दर्ज किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया है जो कि बेबुनियाद, रिकार्ड के विपरीत चाहा गया है क्योंकि खसरा नम्बर 45/1 कभी भी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ।



अपीलान्त के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.04.2025 को दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर के द्वारा नियमानुसार तरमीम शुद्धि करने में अनापत्ति व्यक्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, जोधपुर को खसरा नम्बर 37/1 रकबा 0.3885 हैक्टेयर को प्रार्थीगण (रेस्पोंड संख्या 1 व 2) के नाम खातेदारी में दर्ज करने एवं खसरा नम्बर 37/1 के बराबर जमीन खसरा संख्या 45 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर के नाम अंकित करने का आदेश अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है, क्योंकि उक्त प्रकरण धारा 131 व 136 के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज किये जाने योग्य ही नहीं और न ही तरमीम शुद्धि का है, न ही रिकार्ड दुरुस्ती का है। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज करने की स्टेज पर ही खारिज योग्य था।

7. अपीलान्त के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है तथा राजस्व नियमों के विरुद्ध पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार जोधपुर को नोटिस तक जारी नहीं किया और न ही सुनवाई एवं जबाव प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया गया, एकमात्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ऐसा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है। सार्वजनिक निर्माण

du
राजस्थान सरकार
जोधपुर

विभाग के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को मात्र भूमि की तरमीम शुद्धिकरण नियमानुसार किये जाने हेतु अनापत्ति व्यक्त की थी जबकि प्रकरण तरमीम शुद्धिकरण का नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया जो खारिज किये जाने योग्य था। रेस्पों. संख्या 1 व 2 द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज भूमि खसरा संख्या 37 में से रकबा 37/1 जरिये नामा. संख्या 60 दिनांक 01.07.1975 के जरिये राजस्व रेकॉर्ड में हुई है, न कि खसरा संख्या 45 में से कभी अवाप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 37 में से खसरा संख्या 37/1 जरिये नामा.संख्या 60 दिनांक 01.07.1975 एवं तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 31.05.1975 की पालना में दर्ज किया गया था जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण तरमीम शुद्धिकरण अथवा रिकार्ड दुरस्तीकरण का नहीं था।



अपीलान्त के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट की अपेक्षा किये बगैर ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया है जो कि खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 01.07.1975 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 60 की प्रविष्टि को लगभग 50 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए लिपिकीय त्रुटि के आधार पर दुरुस्त करने सम्बन्धी आदेश पारित कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज खसरा संख्या 37/1 रकबा 0.3885 हैक्टेयर गै.मु. सड़क को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज करने एवं खसरा संख्या 37/1 रकबा 0.3885 के बराबर जमीन खसरा संख्या 45 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित करने का अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.05.2025 बिना किसी विधिक आधार एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश काबिले खारिज है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 किसी भी सूरत में ऐसा अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं थे और न ही अधीनस्थ न्यायालय उक्त चाहे गये अनुतोष को प्रदान करने हेतु सक्षम था। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना विधिक सक्षमता के क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित महज 12 दिन में चार पेशीयों में ही 50 वर्ष पुराने नामान्तरकरण के अनुसार दर्ज भूमि को खारिज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो खारिज करने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2025 को निरस्त किया जावें।

du
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
जोधपुर

9. प्रत्युतर में रेस्प0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.4.2025 को पेश करते हुए कथन किया था कि प्रार्थीगण के खरीद व कब्जा काशत सुदा की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 37 कुल रकबा 0.7608 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 3/8 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 का 5/8 हिस्सा भूमि ग्राम जालेली फौजदारा में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्वत 2081 से 2024 (वर्ष 2024) की खेवट खतौनी संख्या नई 377 व पुरानी 350 से स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के अन्य संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 45 कुल रकबा 0.4407 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 100/1089 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 का 989/1089 हिस्सा है, जिसकी जमाबंदी सम्वत 2081 से 2024 (वर्ष 2024) की खेवट खतौनी संख्या नई 376 व पुरानी 350 से स्पष्ट प्रकट होजाता है।



10. रेस्प0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्तागण ने कथन किया कि वर्तमान रेस्प0 संख्या 3 सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर ने सड़क निर्माण हेतु उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 45 की भूमि में से रकबा 0.3885 हैक्टेयर अवाप्त की गई थी, लेकिन समस्त राजस्व रेकॉर्ड में खसरा संख्या 45 की भूमि में उक्त अवाप्त सड़क को न बताकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 37 में रकबा 0.3885 हैक्टेयर जिसका नया खसरा संख्या 37/1 है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज कर दी गई है जो एक मानवीय भुल व लिपिकिय त्रुटि है जिसके कारण उक्त खसरा संख्या 45 के स्थान पर खसरा संख्या 37 में से भूमि अवाप्त होना समस्त राजस्व रेकॉर्ड में दर्शाया गया है, जबकि मौके पर सड़क खसरा संख्या 37 में न होकर खसरा संख्या 45 में से ही होकर गुजरती हैं।

11. रेस्प0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्तागण ने कथन किया कि उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई त्रुटि की जानकारी होने पर रेस्प0 संख्या 01 को होने पर उक्त प्रकार का एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्प0 संख्या 3 सार्वजनिक निर्माण विभाग से मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया था जिस पर रेस्प0 संख्या 03 के द्वारा अपने पत्रांक 217 दिनांक 28.4.2025 के द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें रेस्प0 संख्या 3 ने पटवारी एवं भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि की तरमीम शुद्धिकरण नियमानुसार की जाए तो उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया था। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपतहसीलदार, डागियावास ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/35 दिनांक 9.4.2025 के द्वारा ग्राम जालेली फौजदारा के ख0सं0 45

व 37 का नक्शा दुरुस्त करने बाबत भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी जालेली फौजदारा के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें ग्राम जालेली फौजदारा की आनलाईन जमाबंदी संवत् 2081 के खाता सं. 376 में खसरा सं. 45 रकबा 0.447 हेक्टर किस्म वैशाली सांड पत्नी मनीष सांड हिस्सा- 100/1089 सहखातेदार दर्ज होने तथा जमाबंदी संवत् 2081 के खाता सं. 377 में खसरा सं. 37 रकबा 0.7608 हेक्टर वैशाली सांड पत्नी मनीष सांड का 3/8 हिस्सा सह खातेदार दर्ज होना तथा उक्त दोनों खसरों में वैशाली सांड का नाम जरिये बेचान के नामा. सं. 820 दिनांक 20.02.2025 दर्ज होना अंकित किया और खसरा सं. 37 में से पूर्व में ही खसरा सं. 37/1 रकबा 0.3885 हेक्टर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया हुआ है। ख.सं. 37/2 पर वैशाली सांड वगैरह काबिज हैं। साथ ही मौके पर सड़क खसरा सं. 37 में से नहीं होकर खसरा सं. 45 में बनी हुई है। खसरा सं. 45 वैशाली सांड वगैरह की सहखातेदारी भूमि है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट प्रकट हो गया था कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य राजस्व रिकार्ड एवं मौका भूमि की स्थिति अनुसार सही दर्शाये गये हैं और उनके द्वारा तरमीम दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।



रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्तागण ने भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में सदभाविक भूल के कारण खसरा संख्या 45 की भूमि में से सड़क निर्माण हेतु अवाप्त न करके लिपिकिय त्रुटि से खसरा संख्या 37 में से अवाप्ति का समस्त राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया है, उक्त सदभाविक भूल के कारण राजस्व रेकर्ड में हुई गलत प्रविष्टी खसरा संख्या 37/1 रकबा 0.3885 के स्थान पर खसरा संख्या 45/1 रकबा 0.3885 हैक्टर समस्त राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त कर इंद्राज किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उप तहसीलदार, डांगियावास तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से भिजवाई गई वस्तुस्थिति तथा रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से तरमीम शुद्धिकरण नियमानुसार की जाये तो उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना बताये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.5.2025 के द्वारा स्वीकार करते हुए ख0सं0 37/1 रकबा 0.3885 ग्राम जालेली फौजदारा तहसील जोधपुर को प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने तथा ख0सं0 37/1 रकबा 0.3385 के बराबर जमीन ख0सं0 45 में रेस्पो0 संख्या 3 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित करने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिया गया है जो पूर्णत विधि के अनुकूल होने तथा राजस्व नक्शों में हुई तरमीम त्रुटि को दुरुस्त किये जाने का पारित किया है जो यथावत रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

du
राजस्थान सार्वजनिक आयुक्त
जोधपुर

13. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपील पर की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन एवं किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील, अपीलाधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया। अपीलान्त के द्वारा इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.05.2025 को निरस्त किये जाने हेतु मुख्य रूप से यह कथन किये है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेसपो0 संख्या 1 व 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न तो दर्ज करने योग्य था और न ही धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता था, साथ ही प्रकरण न तो तरमीम शुद्धि का था और न ही रिकार्ड दुरुस्ती का था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में रेसपो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उनकी संयुक्त खातेदारी की ग्राम जालेली फौजदारा के ख0सं0 37/1 रकबा 0.3885 हैक्टर भूमि सहवन/लिपिकिय त्रुटि के कारण गैर मुमकिन सड़क हेतु अवाप्त बताई गई भूमि को उनकी खातेदारी में दर्ज करने तथा ख0सं0 45 में उक्त अवाप्त की गई सड़क भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने की तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम जालेली फौजदारा, तहसील जोधपुर के ख0सं0 37/1 रकबा 0.3385 हैक्टर को खातेदार के खातेदारी में दर्ज करें एवं 37/1 रकबा 0.3885 हैक्टर भूमि के बराबर ख0सं0 45 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित करने के आदेश पारित किया गया है वो निरस्त करने योग्य है।



इस सम्बन्ध में धारा 131 एवं धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया गया है जो कि इस प्रकार से है:-

धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम Maintenance of Map and Field Book
– After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer

du

राजस्थान सरकार
जोधपुर आयुक्त

in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि रेस्पोंडेंस संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर रेस्पोंडेंस संख्या 3 की ओर से अपने पत्र दिनांक 28.4.2025 में यह अंकित किया कि पटवारी एवं भू 0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि की तरमीम शुद्धिकरण नियमानुसार की जाए तो उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया था।

16. इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपतहसीलदार, डागियावास ने अपने पत्र दिनांक 9.4.2025 के द्वारा ग्राम जालेली फौजदारा के ख0सं0 45 व 37 का नक्शा दुरुस्त करने बाबत भू 0 अ0 निरीक्षक एवं पटवारी जालेली फौजदारा के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भिजवाई हुई है जिसमें ग्राम जालेली फौजदारा की ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2081 के खाता सं. 376 में खसरा सं. 45 रकबा 0.447 हेक्टर किस्म वैशाली सांड पत्नी मनीष सांड हिस्सा- 100/1089 सहखातेदार दर्ज होने तथा जमाबंदी संवत् 2081 के खाता सं. 377 में खसरा सं. 37 रकबा 0.7608 हेक्टर वैशाली सांड पत्नी मनीष सांड का 3/8 हिस्सा सह खातेदार दर्ज होना तथा उक्त दोनों खसरों में वैशाली सांड का नाम जरिये बेचान के नामा. सं. 820 दिनांक 20.02.2025 दर्ज होना और खसरा सं. 37 में से पूर्व में ही खसरा सं. 37/1 रकबा 0.3885 हेक्टर भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया हुआ है। ख.सं. 37/2 पर वैशाली सांड वगैरह काबिज हैं। साथ ही मौके पर सड़क खसरा सं. 37 में से नहीं होकर खसरा सं. 45 में बनी हुई है। खसरा सं. 45 वैशाली सांड वगैरह की सहखातेदारी भूमि है।

17. राजस्व रिकार्ड एवं मौका भूमि की स्थिति अनुसार उनके समक्ष तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण प्राप्त होने पर आपत्तिकर्ता एवं भूमिधारी की ओर से राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी वस्तुस्थिति पेश किये जाने पर भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शा में दर्ज रकबा भूमि की भिन्नता अथवा लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करने/तरमीम दुरुस्त करने का अधिकार प्राप्त है।

18. रेस्पोंडेंस संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा संख्या 45 में आई हुई संयुक्त खातेदारी भूमि में से रकबा 0.3885 हेक्टर भूमि सड़क हेतु अवाप्ति की जाना लेकिन राजस्व रेकर्ड में ख0सं0 45 की भूमि को अवाप्त सड़क न बताकर उनकी संयुक्त खातेदारी वाली ख0सं0 37 में रकबा 0.3385 हेक्टर जिनका नया ख0सं0 37/1 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिये



जाने पर उपतहसीलदार डांगियावास की रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क ख0सं0 37 में नहीं होकर मौके पर ख0सं0 45 में सड़क बनी हुई होना बताया है और ख0सं0 45 रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी भूमि, ख0सं0 37/1 पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 काबिज होना बताया है। साथ ही पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा नियमानुसार तरमीम शुद्धिकरण की जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त सामने आई वस्तुस्थिति के आधार पर भू0अभिलेख अधिकारी के तौर पर उक्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार जोधपुर को ख0सं0 37/1 रकबा 0.3885 ग्राम जालेली फौजदारा तहसील जोधपुर को खातेदारी में दर्ज करने तथा ख0सं0 37/1 रकबा 0.3385 के बराबर जमीन ख0सं0 45 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित करने का अपीलाधीन दिनांक 6.5.2025 को आदेश पारित किया गया जो कि विधि के अनुकूल उचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट के द्वारा यह कहा जाना कि उनको सुनवाई व जवाब पेश किये जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उप तहसीलदार, डांगियावास से मौका रिपोर्ट तलब कर पत्रावली पर ली गई है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध उपतहसीलदार, डांगियावास की ओर से पेश रिपोर्ट को सही अथवा गलत होना अपनी अपील में उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसके तहत सड़क की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उनकी सहमति/अनापत्ति उपरान्त ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों, प्रस्तुत अभिलेखों, दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि के अनुकूल पारित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.5.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 मई, 2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त सम्मागीय आयुक्त,
जोधपुर
अतिरिक्त सम्मागीय आयुक्त
जोधपुर